

२५.३.२) पत्रावली पेश हुई। वकील चाडियागल व चाडियागल अनुपस्थित हैं। उनके नाम की विधिवत रूप से आवेदन लगावायी जाने पर उनके उपस्थित न्यायालय नहीं होने से प्रकट हमी मार पर कंडक पेश की स्वार्थित किने जाने के आदेश दिए जाने हैं। पत्रावली केसल शुमार की जाकर नम्बर के कम है सारिफल इफ्तार की जावे। निर्णय आज दिनांक २५.३.२०२१ के मते सजलाय उनका जाय।



सहायक कमिश्नर (S.D.O.) अलीपुर

